(e) are there any vacancies of the specialised doctors, if so, details thereof;

(f) how many dispensaries are without doctors; and

(g) what steps are being taken to improve the functioning of dispensaries and hospitals all over the country, particularly in Tamil Nadu?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (g) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

US Bill on Ban on Goods made with Child Labour

2470. SHRI SARADA MOHANTY:
DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM:
SHRI SOM PAL:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news analysis by Shri Krishan Mahajan appearing in 'Indian Express' of 29th March, 1993 on a U. S. Bill seeking to ban import of goods manufactured by child labour;

(b) if so, whether Government have studied the impact of such a measure on our exports and economy;

(c) if so, what steps are being taken to see that the cottage, handloom, carpet and glass industries stop employing child labour; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The US Bill, if enacted, is likely to have an impact on India's export to the US. However, the extent of the impact depends on various factors including the steps taken by the concerned export industries to ensure non-employment of child labour.

Government have been concerned with the problem of child labour and have taken legislative and other measures to curb it. In pursuance of the National Child Labour Policy, 1987 apart from stricter enforcement of the laws, project based action programmes have been initiated for the prevention, welfare and rehabilitation of child labour.

मजदूरी संदाय अधिनियम का उल्लंघन

2471. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मजदूरी संदाय अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कुशल और अकुशल बेरोजगारों की संख्या

2472. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1991-92 के अन्त में कुशल और अकुशल तथा शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी थी और चालू वित्तीय वर्ष में उनकी संख्या में और कितनी वृध्दि होने का सरकारी अनुमान है;

(ख) सरकार की नई आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिकों के छंटनीग्रस्त होने/बेकारी से प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रोजगार के कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के अधीन, कार्यक्रमवार, अलग-अलग कितने-कितने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और उनके समायोजन की अवधि क्या होगी;

(घ) क्या नई आर्थिक नीतियों में छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों/बेरोजगार व्यक्तियों के स्थायी समायोजन के लिए कोई प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30-4-1993 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 360.5 लाख है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से सभी व्यक्ति बेरोजगार ही हों। 31-12-1989 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल, अकुशल, शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :—